न्यायालय सिविल जज(सीनियर डिवीजन),इटावा।

उपस्थितः-डा०मोहम्मद इलियास.........उ०प्र०न्यायिक सेवा।

प्रकीर्ण वाद संख्या-01/2018

CNR NO-UPEW05000003-2018

भवेश दुबे उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र स्व०अनिल कुमार दुबे निवासी 922 आनन्द नगर शहर व जिला इटावा। ....आवेदक।

बनाम

1- श्रीमती आरती दुबे उम्र लगभग 35 वर्ष पत्नी स्व०आशुतोष दुबे।

2- कु०इंसिका दुबे उम्र लगभग 11 वर्ष अवयस्क पुत्री स्व०आशुतोष दुबे बजरिये बली व संरक्षिका श्रीमती आरती दुबे माँ हकीकी।

3- प्रांजल दुबे उम्र लगभग 04 वर्ष अवयस्क पुत्र स्व०आशुतोष बजरिये बली व संरक्षिका श्रीमती आरती दुबे माँ हकीकी।

निवासीगण 922 आनन्द नगर शहर व जिला इटावा।

......विपक्षीगण।

- निर्णय -

आवेदक भवेश दुबे द्वारा प्रश्नगत वाद अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक द्वारा प्रश्नगत वाद में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 4 ग में कथन किया गया है कि मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे की मृत्यु दिनांक 05.02.17 को हो गयी थी। आवेदक मृतक उपरोक्त का पुत्र है तथा विपक्षी सख्या-1 श्रीमती आरती दुबे मृतक की पुत्रबधू,विपक्षी संख्या-2 कु०इंसिका दुबे मृतक उपरोक्त की नातिन व विपक्षी संख्या-3 प्रांजल दुबे मृतक उपरोक्त का नाती है। मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे की पत्नी श्रीमती मिथलेश दुबे की मृत्यु मृतक उपरोक्त के जीवनकाल में ही दिनांक 25.09.2013 को हो गयी थी। यह भी कहा गया है कि मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे ने अपने जीवन काल में भारतीय जीवन बीमा निगम से चार बीमा पालिसियां ली थी,जिन बीमा पालिसियों की संख्या क्रमशः262330983,262228958,265104241 एवं 262331248 है

तथा उपरोक्त पालिसियों का बीमा क्लेम मुवलिग 5,70,947/–रूपया मिलना है,जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा स्वयं के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।आवेदक द्वारा कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में आवेदक द्वारा स्वयं के हक में मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण श्रीमती आरती दुबे व नाबालिग पुत्री कु०इंसिका व पुत्र प्रांजल बली व संरक्षिका माता श्रीमती आरती दुबे की ओर से अनापत्ति प्रपत्र संख्या–19 मय शपथपत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे का पुत्र है तथा विपक्षी सख्या–1 श्रीमती आरती दुबे मृतक की पुत्रबधू,विपक्षी संख्या–2 कु०इंसिका दुबे मृतक उपरोक्त की नातिन व विपक्षी संख्या–3 प्रांजल दुबे मृतक उपरोक्त का नाती है। मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे की मृत्यु दिनांक 05.02.2017 को हो गयी थी। मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के बाबत आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त आधारों पर विपक्षीगण द्वारा मृतक द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के बाबत आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 7 ग व 24 ग से प्रपत्र दाखिल किये गये है।

आवेदक की ओर से स्वयं को मौखिक साक्ष्य के रूप में सी०डब्लू०–1 भावेश दुबे को सशपथ परीक्षित कराया गया है।

विपक्षीगण की ओर से कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में ओ०पी०नं०–1 श्रीमती आरती दुबे को सशपथ परीक्षित कराया गया है।

पत्रावली पर भारतीय जीवन बीमा निगम,इटावा शाखा कार्यालय शास्त्री चौराहा,इटावा की आख्या प्रपत्र संख्या–27 ग के रूप मे उपलब्ध है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना एवं पत्रावली

का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन व उपलब्ध साक्ष्य से विदित होता है कि आवेदक भवेश दुबे द्वारा प्रश्नगत वाद अन्तर्गत धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्वयं के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे की मृत्यु दिनांक 05.02.2017 को हो गयी थी,जैसा कि असल मृत्यु प्रमाणपत्र कागज संख्या–25 ग/1 से स्पष्ट होता है। उपरोक्त मृत्यु प्रमाणपत्र की पुष्टि के सम्बन्ध में कार्यालय नगर पालिका परिषद,इटावा की आख्या कागज संख्या–28 ग भी पत्रावली पर उपलब्ध है। मृतक स्व० अनिल कुमार दुबे की पत्नी श्रीमती मिथलेश दुबे की मृत्यु मृतक उपरोक्त के जीवनकाल में ही दिनांक 25.09.2013 को होना कहा गया है,जिसकी पुष्टि श्रीमती मिथलेश दुबे के असल मृत्यु प्रमाणपत्र कागज संख्या–25 ग/2 से स्पष्ट होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि आवेदक भवेश दुबे मृतक उपरोक्त का पुत्र है एवं विपक्षीगण क्रमशः श्रीमती आरती दुबे मृतक की पुत्रबधू व कु०इंसिका दुबे नातिनी व प्रांजल दुबे नाती है ,जैसा कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र कागज संख्या–26 ग से स्पष्ट होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि श्रीमती आरती दुबे के पति आशुतोष की मृत्यु हो चुकी है,जिसके सम्बन्ध में असल मृत्यु प्रमाणपत्र कागज संख्या 25 ग/3 दाखिल किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि विपक्षीगण उपरोक्त मृतक आशुतोष के क्रमशः पत्नी,पुत्री व पुत्र है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे ने अपने जीवनकाल में भारतीय जीवन बीमा निगम से चार बीमा पालिसियां ली थी,जिन बीमा पालिसियों की संख्या क्रमशः 262330983, 262228958, 265104241 एवं 262331248 है। उपरोक्त बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में मुख्य प्रबन्धक,भारतीय जीवन बीमा निगम,इटावा की आख्या प्रपत्र संख्या–27 ग के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध

है,जिसके अनुसार मृतक स्व०अनिल कुमार के जीवन पर मुवलिग 5,70,947/-रूपये दावा राशि देय है। उक्त आख्या में न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी होने पर भुगतान कर दिया जाना भी उल्लिखित है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के दिये जाने के उपरान्त मुनादी करायी गयी, नोटिस जारी किया गया, प्रकाशन कराया गया,परन्तु किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी है। बल्कि विपक्षीगण की ओर से अनापत्ति प्रस्तुत कर कहा गया है कि उन्हें आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा अनापत्ति के साथ फोटोयुक्त शपथपत्र मिनजानिब श्रीमती आरती दुबे प्रपत्र संख्या-20ग दाखिल किया गया है,जिसमें कहा है कि विपक्षीगण मृतक द्वारा छोड़ी गयी धनराशि में अपना हक व हिस्सा आवेदक के हक में परित्याग कर चुके है।आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक भवेश दुबे ने बतौर सी०डब्लू०-1 परीक्षित होकर कथन किया है कि उसने यह दावा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र हेतु दायर किया है। अनिल कुमार दुबे उसके पिता ने एल०आई०सी०की चार पॉलिसियां क्रय की थी। उसके पिता अनिल कुमार दुबे की मृत्यु दिनांक 05.02.2017 को हो गयी थी। विपक्षी आरती दुबे उसके भाई आशुतोष की पत्नी है। आशुतोष की मृत्यु हो चुकी है उनके दो नाबालिग बच्चे इंसिका व प्रांजल है। आवेदक द्वारा यह भी कहा गया है कि उसकी भाभी आरती दुबे को उसके नाम उत्तराधिकार प्रमाणपत्र बन जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार आवेदक के उपरोक्त साक्ष्य से यह विदित होता है कि उसके द्वारा प्रश्नगत वाद अपने पिता द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के बाबत स्वयं के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है,जिसके सम्बन्ध में विपक्षीआरती दुबे,जोकि आवेदक की भाभी है,की ओर से अनापत्ति भी प्रस्तुत कर दी गयी है।

विपक्षीगण की ओर से विपक्षी संख्या-1 श्रीमती आरती दुबे ने परीक्षित होकर सशपथ बयान किया है कि प्रमाणपत्र आवेदक भवेश दुबे के नाम बना दिये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार विपक्षी की उपरोक्त साक्ष्य से यह विदित हो जाता है

कि उसे आवेदक भवेश दुबे के हक में प्रश्नगत धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत वाद अपने पिता स्व०अनिल कुमार दुबे द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के बाबत स्वयं के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु प्रस्तुत किया,जिसमें विपक्षीगण की ओर से आवेदक के हक में प्रश्नगत धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया। पत्रावली पर मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे के नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम से निर्गत बीमा पॉलिसियों की छायाप्रतियां संलग्न है। बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में मुख्य प्रबन्धक,भारतीय जीवन बीमा निगम, इटावा की आख्या प्रपत्र संख्या–27 ग के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार मृतक स्व०अनिल कुमार के जीवन पर मुवलिग 5,70,947/–रूपये दावा राशि देय है।आवेदक द्वारा उपरोक्त धनराशि के बाबत ही स्वयं के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र चाहा गया है। अतः उपरोक्त धनराशि के बाबत आवेदक के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।

तद्नुसार प्रार्थनापत्र 4 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है।

आवेदक **भवेश दुबे** पुत्र स्व०अनिल कुमार दुबे के पक्ष में **मृतक स्व०अनिल कुमार दुबे** द्वारा छोड़ी गयी धनराशि,जिसका विवरण निम्नवत है–

1	भारतीय जीवन बीमा निगम,इटावा शाखा कार्यालय शास्त्री चौराहा,इटावा की पालिसी संख्या क्रमशः 262330983,262228958,265104241 एवं 262331248 के अन्तर्गत उपलब्ध आख्यानुसार देय धनराशि	5,70,947=00
	योग	**5,70,947=00**

कुल मुवलिग 5,70,947=00 (पांच लाख सत्तर हजार नौ सौ

सैतालीस रूपये) तथा उस पर देय अद्यतन ब्याज/लाभांश,यदि कोई हो, के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र वाँछित न्यायशुल्क तथा अण्डरटेकिंग अन्दर 15 दिन दाखिल करने पर नियमानुसार जारी किया जाये।

मुंसरिम कोर्टफीस के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

आवेदक अण्डरटेकिंग व बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत करें कि यदि किसी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत धनराशि के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को अधिमान्यता दी जाती है तो वह आच्छादित धनराशि के समतुल्य धनराशि बिना शर्त यथानिर्दिष्ट व्यक्ति को अविलम्ब प्रदान करेगा।

धनराशि प्राप्त करने सम्बन्धी मूल आवश्यक प्रपत्र आवेदक को नियमानुसार वापस किये जाये।

नियत समय में वांछित न्यायशुल्क, अण्डरटेकिंग, शपथपत्र दाखिल न किये जाने पर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–15.09.2018 **(डा०मोहम्मद इलियास)**

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)

इटावा।

उपरोक्त निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–15.09.2018 **(डा०मोहम्मद इलियास)**

सिविल जज(सीनियर डिवीजन)

इटावा।

ए.के